राम नारायण राय
19.9.19

आप आज तारीख से बिक्रीत तफशील प्रकाशित सम्पत्ति का सालाना मालगुजारी 10 पैसा, वर्तमान मालिक जमीन्दार झारखंड सरकार का प्रति वर्ष लागान वसुल देते हुए अपने नाम पर चेक दाखिला आदि लेकर उक्त तफशील प्रकाशित सम्पत्ति पर आप अपने इच्छानुसार कच्चा पक्का मकान, कुँआ, बाग–बगीचा आदि तैयार कर तथा दान बिक्री हस्तांतरण आदि सर्व प्रकार के मालिक बन कर वंशानुक्रम पर परम सुख से भोग दखल करते रहेंगे, इसमें मेरा तथा मेरे उत्तराधिकारीगण किसी को किसी प्रकार का दावी–दावा तथा बजर एतराज नही होगा, और न भविष्य में कर सकेगा, अगर करें तो कानूनन वातिल एवं नाजायज समझा जायेगा।

प्रकाश रहे कि बिक्रीत तफशील प्रकाशित सम्पत्ति सम्पूर्ण रूप से निर्दाय तथा निर्विवाद अवस्था में है तथा इस पर किसी को किसी प्रकार का कच्चा पक्का एग्रीमेंट या बेनामी हस्तांतरण आदि या बैंक मोरगेज एवं किसी प्रकार का ऋण आदि नही है। फिर भी किसी प्रकार त्रूटि रहना प्रमाण आवे तो मेरा या मेरे उत्तराधिकारीगण पूरा–पूरा क्षति पूर्ती का दायी होगें। तफशील प्रकाशित भूमि सरकारी भूमि, वन भूमि या सरकारी अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर है तथा बिक्रेता एवं क्रेता यह घोषणा करते है कि दस्तावेज में उनके द्वारा संलग्नित सभी तथ्य बिल्कुल सही है तथा जो कागजात का छाया प्रति संलग्न है बिल्कुल सही है, यदि किसी प्रकार का गलत साबित होता है तो सारी जिम्मेदारी पक्षगणों की होगी।

अतः मैं अपनी मन और शरीर की स्वस्थ्यता से मूल्य का कुल रूपये चेक एवं नगद ग्रहण कर यह बिक्रय केवाला दस्तावेज सम्पादन कर दिया। जो कि समय पर काम आवे तथा प्रमाण रहे। ईति अंग्रेजी सन 2019 ई0 दिनांक 18/09/2019।

Savita Kumari